

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

14.3.18 वकुलाय पुरीकेन हकीम  
अपार्थी क्र. 3 की दुल्ही राज हीनेके  
तलबना पेश करे फ्यालेने पर लही  
से मिल गयी 21.3.18 को पेश हो

कलक्टर, जसवन्तापुर  
जिला-जालोर (राज)

21.3.18 वकुलाय पुरीकेन हकीम  
अपार्थी क्र. 3 जमान हो दुल्ही  
चाहे है एक अपार्थी डिमा  
प्राप्त है मिल गयी 25/4/18  
को पेश हो

सहायक कलक्टर, जसवन्तापुर  
जिला-जालोर (राज)

14.5.18 वकुलाय पुरीकेन हकीम  
आज जमान A.C. बाहर दो में पेश  
हो है न केस उनके समक्ष तारीख  
11.5.18 को पेश हो

11.5.18 पञ्चवली आज राजस लोक अदालत  
म्याम आपके द्वार कम्य सीकवाडा  
पेश हुई / प्रकण लोक अदालत  
मे सुनवाई हो पेश हुआ प्रकण  
का अवलोकन किया गया। प्राथी  
ने अपार्थी के विश्व अस्था दु निषे-  
धाता पाने का प्रथेना पेश पेश  
किया कि वादगस्त आराजी माल  
सीकवाडा के एन्व 210, 211, 826  
827, 318, 313, 424, 1766 कुमले  
रकम 12.74 है. मुझे जो पूर्व  
मे चेला के नाम श्री जिले  
अपार्थी कालिया ने समझे से

नवराज  
पञ्चवली  
पेश  
अपार्थी  
नदी  
11/5/18

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नाम से गलत दर्ज कराई गया  
हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के  
धारा 6(2)(1)(3) के अन्वय के तहत  
माता पिता की अपने निधन की  
आशंका में अर्थात् स्वतंत्रदारी का  
अधिकारी पाने हेतु पेश किया  
अर्थात् स.ने जवाब पेश किया कि  
विवाहित आराजी खन्ना 210, 211, 826  
827 वाली सम्पूर्ण आराजी मुख अर्थात्  
एक सहस्वतेंदर उका बन्ध दूधानी  
की सामग्री आराजी है जिसका रकबा  
10.05 है 1/3 हिस्सा अर्थात् एक  
1/2 हिस्सा सहस्वतेंदर उका का  
राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा प्राथीय  
ने इसीथाने अपनी सहस्वतेंदर से  
अपना एक अर्थात् के खाते में  
इन्द्राज सबबाया एवं प्राथीयों का  
वकूत काबूत नहीं होना बताया।  
हमने प्रकरण का अवलोकन किया  
प्राथी का स्वतंत्रदारी घोषणा व खाते  
निवेद्या का बूद न्यायालय हाजा  
में विचारणीय है जो साक्ष्य दस्तावेज  
प्रमाण से निर्णय पारित हो सकेगा  
ऐसी स्थिति में प्राथी का प्रार्थना  
पत्र अस्वाइ निवेद्या का स्वीकार  
योग्य नहीं पाया जाता है अतः

*(Signature)*  
सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

पार्थी द्वारा प्रस्तुत अर्थात् निवेदन  
का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया  
जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.5.18 को  
लेबर अप्पेल कैंप सीकराडि में  
सुनाया गया।

18/5  
सहायक कलेक्टर, जलसंधारण  
जिला अहमदाबाद  
Court Sealmark